न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 76/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–रामलाल पिता बगतावर माली नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–तारा देवी पत्नि रामलाल माली नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
3–गीता देवी पत्नि गोपीलाल कुमावत नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
4–प्रेमी देवी पत्नि नारायणलाल पुर्बिया नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1–अब्दुल रसीद पिता अब्दलु गफार खां पठान नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
2–हसमत बाई पत्नि अब्दुल रसीद खां पठान नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
3–नवनीत कुमार पिता सुगनसिंह बापना नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
4–नरेश पिता सुगनसिंह बापना नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
5–महावीर पिता सुगनसिंह बापना नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6–महेन्द्र पिता सुगनसिंह नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
7–उदयराम पिता हीरा माली नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
8–प्रहलाद पिता रामचन्द्र सुथार नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
9–गोविन्द पिता रामचन्द्र सुथार नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
10–मुरली पिता रामचन्द्र सुथार नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
11–प्रकाश पिता राम चन्द्र सुथार नि0 रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
हरीश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रायपुर मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 381 रकबा 0.03 हे0, 382 रकबा 0.11 हे0, 383 रकबा 0.09 हे0, 386 रकबा 0.47 हे0, 4187/380 रकबा 2.21 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.91 हे0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मे दरमियान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पड़ौसी होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् दिनांक 18.05.

17 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। और यह प्रार्थना अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.06.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी सं0 1 से 11 बावजुद सुचना के उपस्थित नही है। अतः इन के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्मिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में हम प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं0 381 रकबा 0.03 हे0, 382 रकबा 0.11 हे0, 383 रकबा 0.09 हे0, 386 रकबा 0.47 हे0, 4187/380 रकबा 2.21 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.91 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1350/– अक्षरे एक हजार तीन सौ पच्चास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

12/7/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा